न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2021/00073 (73/2021)

चन्द्रकला पत्नी श्री अमीचन्द जाति जाट साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सन्सीटी कॉलोनी, टिब्बी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हनुमानसिंह पुत्र गिरधारीराम जाति जाट साकिन सन्सीटी कॉलोनी, टिब्बी, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ दिनांक 20.04.2021 प्रकरण संख्या 49/2009 बअनवानी चन्द्रकला बनाम सुनील कुमार आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री देवदत भिड़ासरा, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 व 2

श्री रविन्द्र गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक – 29.07.21

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत पेश किया जिसमें चक 8 एसएसडब्ल्यू की 8.337 है0 भूमि को संयुक्त खाता की भूमि होना बताते हुए उसमें अपीलाण्ट का 4.168 है0 रेस्पो0 सं0 1 सुनील कुमार 4.169 है0 हिस्सा दर्ज होना बताया। वादपत्र में कथन कियाकि इस भूमि का अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वादपत्र में वर्णितानुसार घराघरू बंटवारा कर रखा है एवं उसी अनुसार काबिज हैं। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन न करने, कब्जा में दखल अन्दाजी न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा चाही। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसमें घराघरू बंटवारा होने से इंकार किया। विचारण न्यायालय ने वाद को प्राथमिक डिक्री किया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील सं0 133/2011 चन्द्रकला बनाम सुनील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 27.09.2011 को खारिज की गई तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर अपील 7094/2011 प्रस्तुत हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भी अपील खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.04.2021 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2021 के द्वारा वाद में अंतिम डिक्री पारित की गई जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने [illegible] कियाकि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाण्ट ने दिनांक 22.06.2011 को यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि [illegible]लदार स्वयं मौका पर नही गया, मौका निरीक्षण की पक्षकारों को कोई सूचना न[illegible] केवल मात्र प्रतिवादी के जवाब दावा में अंकित भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव भेजा हैं। विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्ताव में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि रेस्पोडेण्ट को दे दी गई है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा किया जाना आज्ञात्मक है पक्षकारों को सूचना देना भी आज्ञात्मक है। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारों को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देकर सर्वप्रथम आपत्तियों का निस्तारण करना चाहिए। विभाजन तहसीलदार द्वारा भेजा गया जो कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। केवल मात्र पटवारी से नक्शा तैयार करवाकर विभाजन प्रस्ताव भेजे हैं विभाजन प्रस्ताव में कब्जा काश्त का ध्यान नहीं रखा गया है। प्रश्नगत विभाजन प्रसताव नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विरूद्ध है। नियम 21 के तहत विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार स्वयं मौका पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन तैयार करके स्वयं नक्शा तैयार करना चाहिए था। नियम 20 के तहत तहसीलदार स्वयं मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर व विभाजन प्रस्ताव में जो भूखण्ड जिस पक्षकार के कब्जा में उसी को बंटवारे में देगा। विभजान करते समय भूमि की किस्म व अभिधारी के कब्जा का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। उक्त कानूनी प्रावधानों का ध्यान नही रखा गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की बहस सुनी थी व विभाजन पर अपीलाण्ट द्वारा की गई आपत्तियों पर बहस सुनकर उनका निस्तारण नहीं किया। वाद में पक्षकारों की अंतिम बहस सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। तहसीलदार ने भूमि की किस्म व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ते का भी ध्यान नहीं रखा केवल मात्र जवाब दावा के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करके भेजा है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011–12 (सुप) पेज 698, आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरओ 2016 पेज 87, आरआरटी 2013 पेज 714, आरआरटी 2013 पेज 714 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.06.2011 को वादीया व प्रतिवादी की सहमति पर जारी की गई थी उसी प्राथमिक डिक्री पालना में तहसीलदार द्वारा राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियमों के तहत नियम 18 से 21 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जो सही है जिसे स्वीकार करते हुए वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण कर अन्तिम रूप से वाद का निस्तारण किया गया है। उस विभाजन प्रस्ताव को राजस्व अपील प्राधिकारी एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने बहाल रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में अब भी विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पर दिनांक 01.04.2021 को बहस सुनी गई एवं उसका निस्तारण अपीलाधीन निर्णय में कर दिया गया है। विभाजन प्रस्ताव की आपत्तियों पर सुनकर ही अंतिम रूप से निर्णय पारित किया गया है एवं अपीलाधीन निर्णय में पूर्व में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को सही एवं उचित माना है। अतः अपीलाण्ट यह तर्क नहीं ले सकता की विभाजन प्रस्ताव की आपत्तियों पर सुना नहीं गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत पेश किया जिसमें भूमि का अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वादपत्र में वर्णितानुसार घराघरू बंटवारा कर रखा है एवं उसी अनुसार काबिज हैं होना बताया है। अपीलाण्ट का मुख्य आक्षेप यह है कि वादपत्र में प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन न

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने, कब्जा में दखल अन्दाजी न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा चाही। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) राजस्थान अजमेर नियमों के नियम 18 से 21 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करवाया गया है तथा उसे विभाजन प्रस्ताव की आपत्तियों पर सुना नहीं गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की फर्दअहकाम दिनांक 01.04.2021 में तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव की आपत्तियों पर उभयपक्ष को सुना गया था तथा अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने ततहसीलदार द्वारा राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियमों के तहत नियम 18 से 21 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव को उचित माना है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे विभाजन प्रस्ताव की आपत्तियों पर सुना नहीं गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2021 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/21

(करतार सिह पूनियॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2021/00073 (73/2021)

चन्द्रकला पत्नी श्री अमीचन्द जाति जाट साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सन्सीटी कॉलोनी, टिब्बी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हनुमानसिंह पुत्र गिरधारीराम जाति जाट साकिन सन्सीटी कॉलोनी, टिब्बी, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ दिनांक 20.04.2021 प्रकरण संख्या 49/2009 बअनवानी चन्द्रकला बनाम सुनील कुमार आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवदत भिड़ासरा, अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री इन्द्राज गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 व 2 श्री रविन्द्र गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 उपस्थित होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2021 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 29.07.2021 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतार सिंह पूनियॉ)
आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:02 IST
Reason: SelfAttested